Bihar Legislature (Pay, Allowances and Pension of Members) Act, 2006

Act 16 of 2006

Amendment append: 8 of 2017

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

बिहार सरकार

बिहार विधान सभा

बिहार विधान मंडल (पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006

[बिहार विधान मंडल द्वारा पारित]

(बिहार अधिनियम संख्या-17/2006)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित,
2006

Optimized by www.ImageOptimizer.net

बिहार विधान मंडल (पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते)

अधिनियम, 2006

[बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित]

विषय–सूची।

खण्ड।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधायें।
4. नियम बनाने की शक्ति।
5. निरसन एवं व्यावृति।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

बिहार विधान मण्डल (पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते)
अधिनियम, 2006

[बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित]

प्रस्तावना – बिहार विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा बिहार विधान परिषद् के सभापति एवं उप सभापति के वेतन एवं भत्ते के निर्धारण के लिए विधेयक।

जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 186 में यह प्रावधान है कि राज्य विधान मण्डल के बिहार विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा बिहार विधान परिषद् के सभापति एवं उप सभापति के वेतन एवं भत्ते के निर्धारण के लिए कानून बनाया जाए।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।** – (1) यह अधिनियम बिहार विधान मण्डल (पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा।

(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में, इस निमित, नियत करें।

2. **परिभाषाएं।** – जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में :–

(क) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद–178 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान सभा का अध्यक्ष।

(ख) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद–178 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान सभा का उपाध्यक्ष।

(ग) "सभापति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान परिषद् का सभापति।

(घ) "उप सभापति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान परिषद् का उप सभापति।

3. **वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।** – इस अधिनियम के नियम –2 में विनिर्दिष्ट पदधारकों को सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित नियमावली के द्वारा तय पैमाने एवं शर्तों के अनुसार वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें देय होंगीं।

4. **नियम बनाने की शक्ति।** – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी :

(2) विशेष रूप से पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली निम्नलिखित समस्त या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी, यथा :–

वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

(3) इस अधिनियम के तहत बनाए जानेवाला प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष जब वे सत्र में हो कुल 14 दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र या दो या उससे अधिक लगातार सत्रों को मिलाकर हो सकती है। यदि उपर्युक्त सत्र या उपर्युक्त उत्तरवर्ती सत्रों के ठीक बाद वाले सत्रावसान से पहले, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन इस बात के लिए सहमत हों कि यह नियम न बनाया जाए तो तत्पश्चात नियम यथास्थिति उस उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा कोई उपान्तरण इस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

5. **निरसन एवं व्यावृति।** – बिहार विधान मण्डल पदाधिकारियों के वेतन भत्ता अधिनियम, 1953 एवं उसमें समय–समय पर किया गया संशोधन अधिनियम इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित समझे जायेगें :

परन्तु, ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिया गया या की गयी समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी :

परन्तु यह भी कि, इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद भी जबतक इसके प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु नियमावली नहीं बनायी जाती है, तबतक पूर्ववर्ती अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए बनायी गई नियमावली प्रभावी रहेगी।

बि० स० मु० (एम० पी०) 71-ऑनलो-6+25+70-

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 चैत्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 302) पटना, वृहस्पतिवार, 20 अप्रील 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

20 अप्रील 2017

सं० एल0जी0-01-06/2017/55/लेजः ।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 12 अप्रील 2017 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 8, 2017]

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)

(संशोधन) अधिनियम, 2017

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 16, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत–गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, एवं प्रारम्भ। – (1) यह अधिनियम बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) यह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 16, 2006 का प्रस्तावना निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : –

''प्रस्तावना। – भारत के संविधान के अनुच्छेद 195 सहपठित अनुच्छेद् 245 एवं अनुच्छेद् 246(3) में उल्लिखित प्रावधान के अधीन बिहार विधान मण्डल के सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन अवधारित करने के लिए अधिनियम। ''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

20 अप्रील 2017

सं0 एल0जी0–01–06/2017/56/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 अप्रील 2017 को अनुमत बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 8, 2017]

BIHAR LEGISLATURE (PAY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) (AMENDMENT) ACT, 2017

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR LEGISLATURE (PAY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 2006 (BIHAR ACT 16, 2006)

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty eighth Year of the Republic of India as follows :-

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Bihar Legislature (Pay, Allowances And Pension of Members) (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force from the date of publication of the notification in the Official gazette.

2. Preamble of The Bihar Act 16, 2006 shall be substituted by the following:-

"Preamble-Act for determination of Pay Allowances and Pension of the members of Legislature of Bihar State under the Provisions mentioned in Article 195 read with Article 245 and Article 246 (3) of the Constitution of India. "

By order of the Governor of Bihar,

SURENDRA PRASAD SHARMA,

Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 302-571+400-**डी०टी०पी०।**

Website: http://egazette.bih.nic.in